न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 45/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/277**
दायर दिनांक :– 11.03.2024 **निर्णय दिनांक :– 20.11.2024**

1. अतामोहम्मद पुत्र केरा जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. सरीफो पत्नी अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अल्लूखां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
2. जमुखां पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
3. जीया पत्नी मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
4. सिकन्दर पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
5. सदाम हुसैन पुत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान नि. नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
6. अज्योर पॉवर फोर्टीवन प्रा.लि. वर्ल्ड मार्क–3 ऐरोसिटी नई दिल्ली हॉल नुरे की भुर्ज
7. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 425/280 रकबा 7.4785 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीं, पानी का टांका, पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीं में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक 119 दिनांक 31.05.2023 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का नुरे की

20.11.24

भुर्ज को दिये, पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 31.01.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान एवं मोतबीरान की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुश्तकिल बिन्दु से करने लगे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व अप्रार्थी संख्या 6 के प्रतिनिधियों ने जान बूझकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पैमाईश नहीं करने दी जिसकी मौका फर्द पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रार्थीगण एवं पड़ोसी खातेदारान को सुनाई लेकिन पड़ोसी खातेदारान ने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और पटवारी हल्का के द्वारा उक्त फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु नियमानुसार आदेश करवाया था और पटवारी हल्का ने मुश्तकिल बिन्दु से पैमाईश शुरू की तो अप्रार्थीगण ने पैमाईश नही होने दी जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थीगण की फसल को आवारा पशु क्षति पहुचा रहे है। इसलिये प्रार्थीगण खसरा नम्बर 425/280 रकबा 7.4785 हैक्टेयर सरहद मौजा नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप की पैमाईश टीम गठित करवाकर एवं उसी पैमाईश अनुसार ही पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 425/280 रकबा 7.4785 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश टीम गठित कर उसी पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि गांव नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 425/280 रकबा 7.4785 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थी पैमाईश टीम गठित कर की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

20.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि गांव नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 425/280 रकबा 7.4785 हैक्टेयर भूमि की टीम गठित कर पैमाईश करवाई जाकर की गई पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)